

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
विदेश व्यापार महानिदेशालय  
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 51/2023

दिनांक: 8 दिसम्बर, 2023

विषय: डी-आयलड राइस ब्रैन की निर्यात नीति में संशोधन।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 28 जुलाई, 2023 की अधिसूचना सं. 21/2023 में आंशिक संशोधन करते हुए डी-आयलड राइस ब्रैन की निर्यात नीति से संबंधित आईटीसी एचएस निर्यात नीति की अनुसूची-2 के अध्याय 23 में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

क्रम सं.	आईटीसी एचएस कोड	विवरण	मौजूदा नीति	नीतिगत शर्त
94 क	2306	खली और अन्य टोस अवशिष्ट, चाहे पीसी हुई हो अथवा टिकियां के रूप में हो, वनस्पति अथवा माइक्रोबियल फेटस अथवा तेलों के निष्कर्षण से प्राप्त, शीर्षक 2304 अथवा 2305 की वस्तुओं के अलावा	मुक्त	तथापि, आईटीसी एचएस कोड 2306 और अन्य किसी एचएस कोड के अंतर्गत डी-आयलड राइस ब्रैन का निर्यात दिनांक 31.03.2024 तक निषिद्ध है।

2. अधिसूचना का प्रभाव:

डी-आयल राइस ब्रैन के निषिद्ध निर्यात को दिनांक 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाया गया है।

संतोष कुमार सारंगी  
8.12.2023  
(संतोष कुमार सारंगी)  
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं  
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार  
ई-मेल: dgft@nic.in

(फा.सं. 01/91/191/030/एम21/ईसी/ई-36363 से जारी)